दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा–282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांकः– 8684 –प्र0नि0 / आ0 / का0प्र0 / अ0अ0–2 / दिनांक 25.08.15

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल) रेग्युलेशन 1972 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (विद्युत एवं यात्रिंक) के रिक्त पदों के विरूद्ध उपयुक्त कार्मिकों के चयनोपरान्त कारपोरेशन के ज्ञाप संख्या–1228 / अ–2 / मु0अ0 (ज0वि0) / प्रोन्नति / 2015 दिनांक 21 / 08 / 2015 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूची, में चयनित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा मुख्य अभियन्ता (वितरण) बांदा क्षेत्र, बांदा के अधीन कार्यभार ग्रहण की तिथि से ग्रेड वेतन रू0 4200 तथा पे–बैण्ड–।। रू0 9300–34800 में न्यूनतम प्रविष्टि वेतन रू0 9860.00 पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन द्वारा नियुक्त किया जाता है। अवर अभियन्ताओं को उनके पूर्व तैनाती जनपद एवं गृह जनपद में तैनात न किया जाये।

40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयनित कार्मिकों का विवरण :–

क्र0सं0	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1449	जयशंकर प्रसाद	नीरा प्रसाद	16/06/1978
2	1492	सुरेन्द्र कुमार	हरिदास	10/07/1975
3	1519	विनोद कुमार	लुददुर राम	02/02/1967

उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा नियुक्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है :–

1. उक्त कार्मिकों को अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर चयन द्वारा नियुक्ति के पश्चात् नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग–अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :–
   - (क) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन / निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
   - (ख) कार्मिक के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
   - (ग) कार्मिक के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक / न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
   - (घ) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरूद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
2. इन कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता बाद में कारपोरेशन द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. कार्मिक की चयन द्वारा यह नियुक्ति पूर्णरूप से अस्थायी है जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण) बांदा क्षेत्र, बांदा उपरोक्त आवंटित कार्मिकों की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयन द्वारा नियुक्त समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कार्मिक के विषय में यह मानते हुये कि वह नव नियुक्त पद स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है, तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।